राजस्थान – सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 63/24 प्रा.पत्र

– श्री नारायण S/o श्री [illegible] निवासी [illegible] तहसील माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

– श्री [illegible] S/o श्री गिरधारी [illegible] निवासी पुरोहित [illegible] तहसील माण्डल (भील)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक– 28.5.24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सोडा देवपुरा पटवार हल्का [illegible] तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी न0 279, 283, 284, 285, 286, 355 कुल किता 06 रकबा 1.6022 हेक्टेयर स्थित है। [illegible] के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 03.05.24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण [illegible] अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को [illegible] नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम सोडा देवपुरा पटवार हल्का [illegible] तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी न0 279, 283, 284, 285, 286, 355 कुल किता 06 रकबा 1.6022 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता [illegible] किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक पीथास को 700 रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में [illegible] की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावे।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा [illegible] पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.11 16:55:50 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल